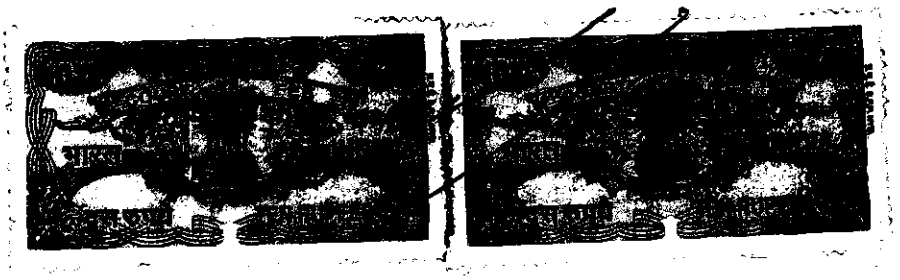

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म. प्र.,पीठ भोपाल

R-3693-PBR/14 प्रकरण क्रमांक

1. दमन सिंह राजपूत पुत्र श्री भाव सिंह राजपूत
   आयु – वयस्क
2. श्रीमती संगीता राजपूत पत्नी श्री दमन सिंह राजपूत
   आयु – वयस्क, दोनों निवासीगण : ग्राम उमरिया,
   तह. आमला, जिला– बैतूल (म.प्र.) ———— आवेदकगण

श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
अभिभाषक द्वारा

विरूद्ध

श्रीमती नान्ही बाई पुत्री छोटू सिंह
निवासीगण : ग्राम उमरिया, तह. आमला
जिला– बैतूल (म.प्र.) ———— अनावेदिका

आज दिनांक 1-11-14 को भोपाल बेंच पर प्रस्तुत किया गया 1-11-14

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद (म. प्र.) द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 285/ए/12–13 "श्रीमती नान्ही बाई विरूद्ध दमन सिंह व अन्य" में दिनांक 24/07/2014 को पारित आदेश (जिसकी सत्यप्रतिलिपि आवेदकगण को दिनांक 02/08/2014 को प्राप्त हुई थी, जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/09/2014 को प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक ए–3334–पी.बी.आर./14 में संलग्न की जा चुकी है) से दुखित एवं क्षुब्ध होकर निम्नानुसार ठोस तथ्यों व आधारों पर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं :–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग. 3693–पीबीआर / 14 जिला – बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.11.2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । पूर्व में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24.7.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे दिनांक 29.10.2014 को आदेश पारित इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । आवेदक द्वारा आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । पूर्व में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने के कारण आयुक्त के आदेश की पुष्टि हो गई है । आवेदकगण यदि इस न्यायालय के आदेश से व्यथित थे, तब उन्हें संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन प्रस्तुत कर इस न्यायालय के आदेश पर पुर्नविचार कराना था । एक बार किसी आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देने के पश्चात् दुबारा उसी आदेश को उसी न्यायालय में चुनौती देना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । आवेदकगण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	P. [signature] 29.11.2014